

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०-1/ छात्रवृत्ति-रा०यो०-प्री-मैट्रिक 06/2010-

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रू० 92347.394 लाख (रू० नौ अरब तेईस करोड़ सैतालीस लाख उनचालीस हजार चार सौ) मात्र बजट प्रावधान के अन्तर्गत संकल्प सख्या-2565 दिनांक-21.12.2017 के आलोक में बिहार राज्य के 38 जिलों के लिए राशि की व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की सहायता) मद में रू०-10395.00 लाख, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायतों को सहायता) मद में रू० 19855.00 लाख, उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा), प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा) मद में कुल रू० 77097.39 लाख अर्थात् रू० 107347.39 लाख मात्र का बजट उपबन्ध किया गया है। उक्त बजट उपबन्ध के विरुद्ध उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की सहायता) मद में रू०-10395.00 लाख, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायतों को सहायता) मद में रू० 19855.00 लाख, उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा), प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा) मद में रू० 62097.394 लाख अर्थात् कुल रू० 92347.394 लाख (रू० नौ अरब तेईस करोड़ सैतालीस लाख उनचालीस हजार चार सौ) मात्र प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राशि की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2-उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के राज्य योजना माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगे:-

(क)लघु शीर्ष-197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की सहायता, उप शीर्ष-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा, विषय शीर्ष-31 सहायक अनुदान (0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन), विपत्र कोड 11-2225031970101

(ख)लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता, उप शीर्ष-0101 छात्रवृत्ति/वजीफा, विषय शीर्ष-31 सहायक अनुदान (0101.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन), विपत्र कोड 11-2225031980101

(ग)लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-34-छात्रवृत्ति/वजीफा (0101.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा) विपत्र कोड-11- 2225032770101

3-इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प सख्या-2565 दिनांक-21.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

4-शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

5-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक- 2561, दिनांक 17-4-98, वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3808, दिनांक-02.06.2017 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

6-जिला पदाधिकारी छात्रवृत्ति वितरण का अनुश्रवण करेंगे कि लाभान्वित होने वाले छात्र/छात्राओं को बैंक खाता के माध्यम से राशि का अन्तरण किया जा रहा है।

7-स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।

8-प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9-प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण का अनुमोदन प्राप्त है।

10-सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह०/-

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

P.T.O

ज्ञापांक- 1/छात्रवृत्ति-रा0यो0-प्री-मैट्रिक 06/2010-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 1/छात्रवृत्ति-रा0यो0-प्री-मैट्रिक 06/2010- 40

पटना, दिनांक- 25.04.2018

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25.4.18
सरकार के सचिव।